

उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक  
प्रधान कार्यालय, कलमबाग चौक,  
मुजफ्फरपुर, बिहार, 842 001



**Uttar Bihar Gramin Bank**

HEAD OFFICE, KALAMBAGH CHOWK,  
MUZAFFARPUR, BIHAR, 842 001

(Sponsored By :: Central Bank of India)

## पावर टिलर / कृषि उपकरण हेतु ऋण

प्रयोजन:	नया पांवर टीलर तथा उपकरण क्रय करने हेतु ।
पात्रता:	उम्र 18 से 60 वर्षों तक । शाखा के कार्य क्षेत्र का स्थाई निवासी । न्यूनतम 1 एकड़ सिंचित भूमि होना चाहिए । न्यूनतम 600 घंटों के किराया । किसी बैंक/वित्तीय संस्था का चूककर्ता नहीं हो ।
ऋण पात्रता:	उपकरण की लागत का <b>85%</b>
मार्जिन:	उपकरण लागत मूल्य का <b>15%</b>
ऋण की प्रकृति:	सावधिक ऋण (Term Loan)
ऋण की अदायगी:	3.5 वर्ष छमाही अंतराल पर फसल कटनी से संबद्ध ।
ऋण वितरण:	भुगतान सीधे आपूर्तिकर्ता / डीलर को चेक / ड्राफ्ट के माध्यम से ।
प्रतिभूति:	<ul style="list-style-type: none"><li>● प्राथमिक प्रतिभूति: टीलर तथा उपकरण का दृष्टिबंधक ।</li><li>● कोलैटरल प्रतिभूति – कम से कम, 1.00 एकड़ सिंचित भूमि का रजिस्टर्ड मोरगेज ।</li><li>● तरल प्रतिभूति – 100 प्रतिशत होने की स्थिति में भूमि मोरगेज नहीं ।</li></ul>
अनुदान:	<ul style="list-style-type: none"><li>● राज्य सरकार, कृषि विभाग द्वारा कृषि यंत्रिकरण योजनान्तर्गत अनुदान उपलब्ध ।</li><li>● पावर टीलर का मूल्य का <b>50%</b> या रु 60000/- (साठ हजार) जो भी कम हो ।</li><li>● अनुदान प्राप्ति की जिम्मेदारी लाभान्वित की होगी ।</li></ul>
ब्याज दर:—	<b>12.5%</b> (नियमानुसार परिवर्तनीय) अर्द्ध वार्षिक आधार पर
KYC	आवश्यक है
बीमा:	उपकरण का बैंक क्लोज के साथ <b>Comprehensive</b> बीमा आवश्यक है.